राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 53/2020

1. जनक सिंह पुत्र सज्जन सिंह उर्फ सतीदान सिंह
2. नरपाल सिंह पुत्र सज्जन सिंह उर्फ सतीदान सिंह
3. रामोतार सिंह पुत्र सज्जन सिंह उर्फ सतीदान सिंह
4. विक्रम सिंह पुत्र सज्जन सिंह उर्फ सतीदान सिंह
5. भंवर कंवर पत्नी सज्जन सिंह उर्फ सतीदान सिंह (मृतक)
6. केशर कंवर पुत्री सज्जन सिंह उर्फ सतीदान सिंह
7. मिनू कंवर पुत्री सज्जन सिंह उर्फ सतीदान सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

**ब–ना–म**

1. रामसिंह पुत्र सुरजन सिंह
2. अन्तर देवी पत्नी हरीसिंह
3. जीवराज सिंह पुत्र हरीसिंह
4. नरेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह
5. मुकेश उर्फ जयपाल सिंह पुत्र हरीसिंह
6. सुरेश सिंह उर्फ विनोद सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी
7. कमलेश कंवर पुत्री हरीसिंह पत्नी सुरजन सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू, राज0
8. अनील सिंह पुत्र मदन सिंह
9. सरोज देवी पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. बिमला कंवर पुत्री मदन सिंह पत्नी रामकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी आलमपुरा पोस्ट बदनगढ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
11. उम्मेद सिंह पुत्र जसवन्त सिंह
12. अशोक सिंह पुत्र जसवन्त सिंह
13. रोहताश सिंह पुत्र जसवन्त सिंह
14. अमर कंवर पत्नी जसवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
15. सुरेश कंवर पत्नी बुद्ध सिंह पुत्रवधु सवाई सिंह [illegible] निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी।
16. भावना कंवर पुत्री बुद्धसिंह पोत्री सवाई सिंह [illegible] परवेन्द्र सिंह जाति [illegible] निवासी रेडी पोस्ट रेड़ी तहसील तारानगर जिला चू[illegible] राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

17. हजारी सिंह पुत्र सवाई सिंह
18. राजेन्द्र सिंह पुत्र सुवाई सिंह
19. महेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी वाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
20. मंजू कंवर पुत्री सवाई सिंह पत्नी पप्पू सिंह राजपूत निवासी चान्दगोठी तहसील राजगढ जिला चूरू, राज0
21. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घरडाना खुर्द जरिये शाखा प्रबंधक।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

## दावा– रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन

दिनांक 04–11–2022

### –: निर्णय :–

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19–01–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम ढाणी वाढ़ां स्थित भूमि खाता संख्या 119 खसरा नंबर 373 रकबा 1.80 है. में वादीगण का 5/8 हिस्से का, खाता संख्या 120 खसरा नंबर 369, 376, 377, 378 कुल किता 4 कुल रकबा 10.14 है. में वादीगण का 5/16 हिस्से का तथा खाता संख्या 128 खसरा नंबर 444 रकबा 1.30 है. में वादीगण का 5/9 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त विवादित भूमि की खातेदारी में वादीगण के पिता/पति का नाम शक्तिदान सिंह के स्थान पर सज्जन सिंह उर्फ सतीदान सिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतडी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/455 दिनांक 03.03.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये तथा पुनः पत्र क्रमांक: भू.अ./22/4455 दिनांक 18.10.2022 से नक्शा ट्रेस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाज[illegible] पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकरान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत [illegible] दिनांक 03–03–2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 18–10–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03—03—2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 18—10—2022 (प्रदर्श—''अ—1 लगा. अ—2'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03—03—2022 व दिनांक 18—10—2022 (प्रदर्श—''अ—1 लगा. अ—2'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

## आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03—03—2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 18—10—2022 (प्रदर्श—''अ—1 लगा. अ—2'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03—03—2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 18—10—2022 (प्रदर्श—''अ—1 लगा. अ—2'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श—''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04—11—2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

**उनवान**

जनक सिंह आदि

**ब–ना–म**

रामसिंह आदि

वा बाबत **रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन**

कदमा नम्बर :– **53/2020**

र्णय दिनांक :– **04–11–2022**

वादीगण की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण सं. 1, 3, व 13 की ओर से **श्री प्रताप सिंह तंवर एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **–11–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और क्री दी जाती है कि –

**"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–03–2022 व नक्शा ट्रेस नांक 18–10–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–2" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। माजन प्रस्ताव दिनांक 03–03–2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 18–10–2022 (प्रदर्श–"अ–1 गा. अ–2" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"**

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **04–11–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर गई।

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

**उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी**

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner